913

पत्रांकः बीएसडीएम/अनुपालन–79/2023 – 1149

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार कौशल विकास मिशन

प्रेषक,

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संबंधित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र
भागलपुर प्रमंडल।

पटना, दिनांकः 22/05/24

विषयः दिनांक 8 मई 2024 को भागलपुर प्रमंडल के केवाईपी केन्द्र संचालकों के साथ हुए केवाईपी संवाद कार्यक्रम की कार्रवाई के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के आलोक में सूचित करना है कि दिनांक 8 मई 2024 को प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन की अध्यक्षता में भागलपुर प्रमंडल अन्तर्गत कार्यरत कुशल युवा कार्यक्रम केन्द्रों के संचालकों के साथ आयोजित केवाईपी संवाद कार्यक्रम की कार्रवाई की अनुमोदित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि उक्त केवाईपी संवाद कार्यक्रम में प्राप्त निदेशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाए, जिससे केवाईपी में दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि हो एवं इस योजना का लाभ राज्य के युवाओं को प्राप्त हो सके।

अनुलग्नकः यथोक्त

विश्वासभाजन

(सुरेश कुमार सिंह)
मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः बीएसडीएम/अनुपालन–79/2023 – 1149 पटना, दिनांकः 22/05/24

1. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं जिला पदाधिकारी, बाँका को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला नियोजन पदाधिकारी, भागलपुर एवं जिला नियोजन पदाधिकारी, बाँका को सूचनार्थ प्रेषित।
4. बिहार कौशल विकास मिशन के सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 08 मई 2024 को प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन की अध्यक्षता में कुशल युवा कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत भागलपुर प्रमंडल में कार्यरत कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालकों के साथ आयोजित KYP संवाद की कार्यवाही

भागलपुर प्रमंडल स्तरीय संवाद सह समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

डॉ0 बी0 राजेन्दर, प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 08.05.2024 को कुशल युवा कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत भागलपुर प्रमंडल में कार्यरत कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालकों के साथ KYP संवाद सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।

बैठक की शुरूआत में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया तथा कुशल युवा कार्यक्रम के उद्देश्यों, अपेक्षाओं एवं प्रस्तावित नवाचार कार्यक्रमों से अवगत कराया गया। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम राज्य सरकार के सात निश्चय योजनांतर्गत एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ राज्य के सभी इच्छुक युवाओं को दिलाने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य में दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने एवं तय दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है। अपने संबोधन में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए:–

I. केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थी का प्रतिदिन आना एवं न्यूनतम 04 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही, केन्द्र पर आने एवं जाने के समय लर्निंग फैसिलिटेटर एवं प्रशिक्षणार्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन सभी केन्द्र सुनिश्चित करें।
II. IRIS उपस्थिति तंत्र सभी केन्द्रों पर लगाना अनिवार्य है, जिसके लिए केन्द्रों को अधिसूचित कर दिया गया है। सभी केन्द्र इस आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
III. सभी केन्द्र युवाओं का क्षमतावर्धन करने एवं उन्हें रोजगारपरक बनाने के लिए योग्य एवं निपुण लर्निंग फैसिलिटेटर की नियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। केन्द्र पर कार्यरत लर्निंग फैसिलिटेटर एवं बाकी कर्मियों को ससमय भुगतान भी सुनिश्चित करना सुनिश्चित करेंगे।
IV. सभी केन्द्र अपनी इनटेक क्षमता का पूर्ण उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे।
V. सभी केन्द्रों के लिए सी0सी0टी0वी0 कैमरे उचित स्थानों पर लगाना एवं विगत 15 दिनों का सी0सी0टी0वी0 फुटेज सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
VI. सभी केन्द्र बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
VII. सभी केन्द्र संचालक अपने अपने केन्द्रों का बेहतर रख–रखाव सुनिश्चित करेंगे।
VIII. सभी केन्द्रों के लिए राज्य मुख्यालय से ससमय पुस्तकों का संग्रहण कर प्रशिक्षणार्थियों को ससमय पुस्तकों का वितरण करना अनिवार्य होगा।

तदोपरांत प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर, जिला पदाधिकारी भागलपुर एवं जिला पदाधिकारी बाँका द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित निम्नांकित सुझाव दिए गएः

1. लर्निंग फैसिलीटेटरों की नियुक्ति हेतु मिशन द्वारा न्यूनतम अर्हता को और सख्त किया जाए। साथ ही, लर्निंग फैसिलीटेटरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक विधिवत प्रक्रिया का निर्धारण किया जाए।
2. कई केन्द्रों पर पुराने कम्प्यूटर लगे होने के कारण लर्निंग सेशन स्वयं लॉगआउट हो जाता है जिस कारण प्रशिक्षण बाधित होता है। इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।
3. कई बार ERA Software के अपग्रेड होने पर केन्द्र संचालकों को मैन्युवल तरीके से सिस्टम को Sync करना पड़ता है, जिसे दैनिक प्रशिक्षण कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। अतएव इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
4. कई प्रखंड कौशल विकास केन्द्रों (Block Skill Development Centers - BSDCs) में मरम्मति का कार्य कराना आवश्यक है, जिसपर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
5. केन्द्रों को शैक्षणिक अवकाश अवधि में अधिक से अधिक प्रशिक्षण कराए जाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
6. कुशल युवा कार्यक्रम में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की विवरणी दूसरे सरकारी विभागों के साथ साझा करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें यह ज्ञात हो सके कि विभागीय ऑनलाईन सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने हेतु क्षेत्रों में कुशल मानवबल उपलब्ध हैं, जिनकी सेवा आसानी से ली जा सकती है।
7. इस कार्यक्रम की पहुँच समाज के वंचित समुदायों तक हो, इस संदर्भ में केन्द्र संचालकों को कार्य करने की आवश्यकता है।
8. मोबाईल फोन, सीसीटीवी एवं अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए अनुश्रवण प्रक्रिया को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।
9. प्रशिक्षण केन्द्रों पर नामांकन में बढ़ोतरी हेतु जिला/प्रखंड स्तरों पर नामांकन कैम्प आयोजित करने की आवश्यकता है।
10. बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर केवाईपी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रोजगार संबंधी विवरणी डालने का प्रावधान किए जाने पर विचार किया जाए।

तत्पश्चात् KYP संचालकों से उनकी समस्याओं एवं उनके सुझावों को साझा करने के लिए अनुरोध किया गया। संचालकों के द्वारा बताई गई निम्नांकित समस्याओं एवं सुझावों पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय द्वारा उत्तर दिया गयाः

क्र0सं0	केन्द्र संचालकों द्वारा बतायी गयी समस्याएँ/ सुझाव	मु0का0पदा0 द्वारा दिया गया उत्तर
1	प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के क्रम पाठ्यक्रम को दोहराने या दोबारा पढ़ाए जाने संबंधी सत्र को पुनः शुरु किया जाए।	केवाईपी प्रशिक्षण के वर्तमान ढाँचे को दृष्टिपथ रखते हुए इसे लागू कर पाना अभी संभव प्रतीत नहीं होता है। भविष्य में इसकी आवश्यकता का विश्लेषण करते हुए विचार किया जाएगा।

क्र0सं0	केन्द्र संचालकों द्वारा बतायी गयी समस्याएँ / सुझाव	मु0का0पदा0 द्वारा दिया गया उत्तर
2	इच्छुक अभ्यर्थियों का कुशल युवा कार्यक्रम योजना में निबंधन हेतु प्रखंड / प्रशिक्षण केन्द्र स्तरीय व्यवस्था का भी प्रावधान उपलब्ध हो।	उक्त प्रावधान की संभावना की खोज करने हेतु योजना एवं विकास विभाग के साथ पहले ही वार्ता की गई है।
3	राज्य के विभिन्न योजनाओं से जुड़ी ऑनलाईन सेवाओं से संबंधित जानकारी को केवाईपी के कोर्स में सम्मिलित किया जाए।	यह प्रक्रियाधीन है एवं शीघ्र ही अद्यतन पाठ्यक्रम का यह हिस्सा होगा।
4	महिलाओं के लिए आत्मरक्षा संबंधी प्रशिक्षण को केवाईपी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।	केवाईपी प्रशिक्षण को राज्य के युवाओं की सामान्य आवश्यकताओं एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप तैयार किया गया है। अतएव, इसमें प्रस्तावित विषय को सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है।
5	प्रशिक्षणार्थियों के दैनिक उपस्थिति AEBAS में दर्ज करने में काफी समय लग जाता है एवं इसे पोर्टल पर परिलक्षित होने में भी काफी समय लगता है।	संबंधित विभाग के साथ वार्ता करते हुए उपस्थिति संबंधित अगर कोई तकनीकी कमियाँ पाई जाती हैं तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
6	प्रशिक्षणार्थियों के सिक्योरिटी रिफंड से संबंधित जानकारी प्रशिक्षण केन्द्रों को भी उपलब्ध करायी जाए।	मिशन द्वारा इस संबंध में प्रत्येक प्रखंड में कैम्प लगाकर प्रशिक्षणार्थियों को आधार संख्या को अपने बैंक खाते से जोड़े जाने के निमित प्रोत्साहित किया गया है। सभी केन्द्र संचालक द्वारा भी अपने स्तर से प्रशिक्षणार्थियों को अपना आधार संख्या बैंक खाते से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात्, बिहार कौशल विकास मिशन के विभिन्न योजनाओं पर बने चलचित्र का प्रदर्शन किया गया, जिसके उपरांत **BSDM Technical Team** के द्वारा भागलपुर प्रमंडल में कार्यरत कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रदर्शन संबंधी आँकड़ों पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

अंत में, मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

16.5.2017

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
प्रधान सचिव–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन